न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः जितेन्द्र मिश्रा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP6300

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1096/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–3202/2026
(CNR No: UPGZ010070632026)
1.चेतन उर्फ तुषार, पुत्र–राजेन्द्र
2.कुनाल, पुत्र–नेपाल
निवासी–गली नं० 11, चूना भट्टी मोदीनगर, थाना–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–253/2026
धारा–317(2), 345(3), 3(5) बी०एन०एस०
थाना–मोदीनगर, गाजियाबाद।

.....

04.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण चेतन उर्फ तुषार व कुनाल की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण के पैरोकार श्रीमती पूजा ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उनका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2026 को वादी मुकदमा उ०नि० श्री पुरनलाल द्वारा थाना मोदीनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादी मुकदमा दिनांक–29.05.2026 को मय हमराहीगण के साथ क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैंकिग कर रहे थे, तभी भोजपुर की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर सवार दो लड़के तथा एक स्कूटी एक्टिवा पर सवार दो लड़के आते दिखायी दिये, पुलिस वालों ने सामने से आते लड़को को रूकने का इशारा किया तो स्कूटी पर सवार दो लड़के घबरा कर स्कूटी मोड़ने का प्रयास करने लगे तथा मोटरसाईकिल पर सवार दोनों लड़के मोटरसाईकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया तभी मोटरसाईकिल फिसलकर गिर गयी। जिन्हें पुलिसबल द्वारा पकड़ लिया गया। स्कूटी चलाने वाले लड़के से नाम पूछा् गया तो उसने अपना नाम कुनाल बताया तथा पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम चेतन उर्फ तुषार बताया। मोटरसाईकिल चलाने वाले लड़के ने अपना नाम नितिन कुमार तथा पीछे बैठे लड़के ने अपना नाम हर्ष बताया। लड़को की जामा तलाशी ली गयी तो कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। पकड़े गये लड़को से स्कूटी एक्टिवा व मोटरसाईकिल के बारे में सख्ती से पूछा गया तो बताया कि हम लोग वाहनों की चोरी करते है, स्कूटी को हम लोगों ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मेरठ से चोरी किया था तथा मोटरसाईकिल को लाक तोड़कर चोरी किया। स्कूटी व मोटरसाईकिल पर लगी नम्बर प्लेट को ई–चालान एप पर चेक किया गया तो नम्बर गलत पाया गया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण एक सीधे सादे अमन पसन्द कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का उपरोक्त केस से कोई संबंध नहीं है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त केस के बावत कोई पब्लिक का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। थाना हाजा की पुलिस के द्वारा एक झूठी कहानी बनाकर उपरोक्त केस में संलिप्त कर जेल भेज दिया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मीमो पुलिस द्वारा झूठी दर्शित की गयी है। गिरफ्तारी के समय कोई पब्लिक का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण /अभियुक्तगण के कब्जे से कोई किसी प्रकार की वस्तु बरामद नहीं हुई है जो दिखायी गयी है वह थाना हाजा की पुलिस के द्वारा पहले से ही थाने में खड़े वहान को संलिप्त कर दिखाया गया है। आवेदकगण /अभियुक्तगण के जिला कारागार में निरूद्ध रहने से उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ने का अन्देशा है। आवेदकगण /अभियुक्तगण दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में बन्द है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि आवेदकगण /अभियुक्तगण से चोरी की स्कूटी व एक मोटरसाईकिल बरामद हुई है जिसे वे फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहे थे। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7. वर्तमान मामलें में चैंकिग के दौरानआवेदकगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण से एक अदद मोटरसाईकिल एवं स्कूटी एक्टिवा बरामद होना अभिकिथत है, जिसे वे फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहे थे। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध की धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 30.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक नहीं है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार आवेदकगण /अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **चेतन उर्फ तुषार व कुनाल** की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को उनके द्वारा 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(जितेन्द्र मिश्रा)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दिनांक 04.06.2026